# छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 111/2007</u>

श्री सुरेश कुमार टंडन,
द्वारा श्री राजनाथ चौहान,
सिद्धार्थ चौक, टिकरापारा,
रायपुर (छत्तीसगढ़) .......... अपीलार्थी

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास
शाखा, कलेक्टर कार्यालय,
रायपुर (छत्तीसगढ़) .......... प्रतिअपीलार्थी

## :: आदेश ::
( दिनांक 31 मई 2007 )

श्री सुरेश कुमार टंडन, सिद्धार्थ चौक, टिकरापारा, रायपुर के द्वारा जन सूचना अधिकारी, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास शाखा, कलेक्टर कार्यालय, रायपुर से आवेदन–पत्र दिनांक 12–09–2006 के द्वारा 12 बिन्दुओं पर जानकारी प्रदान करने हेतु आवेदन–पत्र दिया। जन सूचना अधिकारी के द्वारा आवेदक को पत्र दिनांक 23–12–2006 के द्वारा बिन्दुवार जानकारी दी गई। अपीलार्थी ने प्रथम अपील प्रस्तुत की, किन्तु निर्धारित अवधि में अपीलीय अधिकारी के द्वारा आदेश पारित नहीं किया गया, जिससे असंतुष्ट होकर आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।

**2/** आयोग के द्वारा दोनों पक्षों को नोटिस जारी किया गया। प्रतिअपीलार्थी की ओर से श्री के. एस. मार्को, क्षेत्र संयोजक तथा कार्यपालन अभियंता श्री ए. के. दुबे उपस्थित हुये। आयोग के द्वारा दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, जवाब एवं लिखित तर्कों पर विचार किया गया। अपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि उसने बिन्दु क्रमांक–5 में उसके द्वारा प्रस्तुत किये गये बिलों से संबंधित नोटशीट की प्रतिलिपि मांगी थी। बिन्दु क्रमांक–7 कन्या छात्रावास भवन के ड्राइंग से संबंधित जानकारी चाही थी। उसने यह भी उल्लेख किया कि आदिवासी कन्या छात्रावास की डिजाईन उसने बनाई थी तथा उसी के आधार पर निर्माण कार्य भी प्रारंभ है। उसने इस संबंध में दिनांक 14–12–2005 को एवं 14–01–2006 को बिल प्रस्तुत किये। किन्तु उसका भुगतान उसे नहीं किया गया। उसने इस संबंध में समय–समय पर बिल कार्यालय को प्रस्तुत किये जिसकी रसीदें भी अपील पत्र के अनुसार संलग्न की गई। उसने इसी से संबंधित जानकारी चाही थी। क्षेत्रीय संयोजक के द्वारा बतलाया गया कि अपीलार्थी के द्वारा चाही गई बिन्दुवार जानकारी उसको दे दी गई है, अपीलार्थी ने आदिवासी कन्या छात्रावास भवन की डिजाईन नहीं बनाई थी और न ही उसकी डिजाईन मंजूर हुई है, अतः उसके द्वारा प्रस्तुत बिलों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। उन्होंने प्रतिअपीलार्थी का यह कथन भी अस्वीकार किया कि तत्कालीन कार्यपालन अभियंता

एवं सहायक अभियंता के मौखिक निर्देश से अपीलार्थी के द्वारा डिजाईन बनाई गई थी। अतः उसका भुगतान उसे होना चाहिये था तथा उसकी जानकारी दी जाना चाहिये थी। प्रतिअपीलार्थी के द्वारा अपने लिखित जवाब में बतलाया गया कि अपीलार्थी के द्वारा आदिवासी सामुदायिक भवन एवं ग्राम–सोनाखान में शहीद स्मारक भवन परिसर में बनाये गये द्वार का निर्माण का डिजाईन मौखिक निर्देशानुसार अपीलार्थी ने तैयार किया था, जिसका कि भुगतान भी उसे किया गया है। आदिवासी कन्या छात्रावास भवन का डिजाईन दिवाकिर्ती राव एण्ड एसोसियेट्स के द्वारा किया गया है, अतः अपीलार्थी को भुगतान करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। अपीलार्थी को लिखित में कार्यादेश भी नहीं दिया गया था, किन्तु बहस के समय प्रतिअपीलार्थी की ओर से कार्यपालन अभियंता श्री ए.के.दुबे के द्वारा बतलाया गया कि स्थल पर अपीलार्थी की डिजाईन के ही मान से भवन बन रहा है। उन्होंने यह भी बतलाया कि तत्कालीन कार्यपालन अभियंता श्री राठौर के द्वारा संभवतः अपीलार्थी को मौखिक आदेश दिया था।

**3/** प्रकरण से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी को आदिवासी कन्या छात्रावास भवन के डिजाईन के बिल से संबंधित नोटशीट की प्रति नहीं दी गई है, शेष बिन्दुओं की जानकारी दी जा चुकी है। प्रकरण से यह भी स्पष्ट है कि यह विवादास्पद है कि आदिवासी कन्या छात्रावास भवन की डिजाईन किसके द्वारा बनाई गई। यदि अपीलार्थी के द्वारा बनाई गई डिजाईन अनुमोदित नहीं थी, तब उसके द्वारा डिजाईन हेतु प्रस्तुत किये गये बिलों के संबंध में स्पष्ट रूप से उसको जवाब दिया जाना चाहिये था कि अपीलार्थी ने डिजाईन नहीं बनाई गई है, अतः उसके द्वारा प्रस्तुत बिल के भुगतान का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। किन्तु अपीलार्थी समय–समय पर बिल देता रहा और कार्यालय में उसके द्वारा दिये गये बिल की रसीद भी अपीलार्थी के पास है। किन्तु बिल प्रस्तुत होने पर उसे कोई पत्र नहीं दिया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत आवेदन–पत्र देने पर भी उसे स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं दी गई। आयोग के समक्ष सुनवाई के समय कार्यपालन अभियंता श्री दुबे के द्वारा यह स्वीकार किया गया कि भवन का निर्माण अपीलार्थी की डिजाईन पर हो रहा है। प्रकरण से यह भी स्पष्ट है कि आदिवासी विकास विभाग में कार्यपालन अभियंता एवं अन्य अधिकारी निर्माण कार्य हेतु मौखिक निर्देश देते रहते हैं। उसे स्वयं सहायक आयुक्त ने अपने लिखित जवाब में स्वीकार किया है कि अपीलार्थी को दो भवनों की निर्माण की डिजाईन का कार्य मौखिक आदेश पर दिया गया था। अपीलार्थी का यही तर्क है कि आदिवासी कन्या छात्रावास भवन की डिजाईन का कार्य भी उसे मौखिक निर्देशानुसार दिया गया। किन्तु बिल प्रस्तुत होने पर उसे अमान्य किया जा रहा है। कार्यपालन अभियंता ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि छात्रावास भवन का निर्माण कार्य अपीलार्थी की डिजाईन पर ही किया जा रहा है। अतः इस प्रकरण में यह जाँच वरिष्ठ स्तर पर किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है कि क्या अपीलार्थी को मौखिक निर्देशानुसार डिजाईन का कार्य दिया गया था और अपीलार्थी के बिल प्रस्तुत करने पर उसे पूर्ण जानकारी नहीं दी गई। अतः सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिवासी विकास विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वे इस प्रकरण की विस्तृत जाँच करें और यह भी देखें कि मौखिक निर्देश के अनुसार क्या अपीलार्थी को डिजाईन का कार्य दिया गया था, तथा अपीलार्थी के द्वारा बिल प्रस्तुत होने पर विभाग ने क्या कार्यवाही की। चूँकि जन सूचना अधिकारी के द्वारा बिलों पर कोई कार्यवाही नहीं होने का उल्लेख किया गया है, अतः जानकारी नहीं दी गई है, किन्तु बिल जब प्रस्तुत किये गये तब

उस समय उन पर किसी स्तर पर कार्यवाही न होना संदेह की स्थिति उत्पन्न करता है। सामान्यतः निर्माण कार्यों के आदेश नियमानुसार मौखिक नहीं दिये जाते, इस हेतु विधिवत् लिखित आदेश जारी किये जाते हैं। अतः सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिवासी विकास विभाग प्रकरण में समुचित जाँच कर तथा अपीलार्थी को यदि जाँच में इसके बिलों पर कोई कार्यवाही होना पाया जाता है तो उसे तद्नुसार सूचित करें।

**4/** उपरोक्त निर्देशों के साथ अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

**( ए. के. विजयवर्गीय )**
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त